

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर।

पत्रांक:-बेसिक / ४२ ७४८ -४९

/ २०१०-११

दिनांक- २४-०१-२०१९

प्रबंधक,
ओएनजीसी कम्यूनिटी स्कूल,
विकासक्षेत्र-लहरपुर, सीतापुर।

आप अपने पत्र दिनांकित शून्य का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपके द्वारा संचालित..... से..... तक के विद्यालय के नवीनीकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। कृपया सूच्य है कि इस कार्यालय के पत्र सं०शि०स०/४९०-९३/२००२-०३ दिनांक ०९.०५.२००२(छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसमें राजाज्ञा सं०१८७३/१५.०६.१९९०-एस(७)/८९ दिनांक १०.०९.१९९८ का उल्लेख किया गया है, के द्वारापत्र में निहित प्राविधानों के अंतर्गत अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को दी गयी अरथात् मान्यता भी स्थायी प्रकृति की होगी तथा इस निमित्त प्रतिवर्ष नवोनीकरण कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सीतापुर।

पृ०स० व दिनांक समांक:-
प्रतिलिपि-सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद सीतापुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सीतापुर।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर

पत्रांक: मान्यता / ५९७१७-२३/ २०१५-१६

दिनांक ३१.३.१६

प्रबन्धक,
ओ०एन०जी०सी० कम्यूनिटी स्कूल
ग्राम पैंतला रानी फार्म, लहरपुर, सीतापुर

विषय: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

महोदय / महोदया।

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्यर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं जिला वैरिक शिक्षा अधिकारी आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2015-16 से ०३ वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम की नसंसी से कक्षा ८ तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की समूचना दता हूँ।

उपरावत मजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं—

- मान्यता की मजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात मान्यता सम्बन्ध करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम, 2009 (उपावध १) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम, 2010 (उपावध २) तथा नियमावली 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा १ में (या यथरित, नसंसी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की सख्त्या के २५ प्रतिशत तक आस-पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- वैरा ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक वैक खाता रखेगा।
- सासाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का सग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या सरक्षक को किसी रक्कनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सावृत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-१५ की उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी हाने तक किसी कस्त में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्तीर्ण के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन अधिकथित किय गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निश्चित्ताप्रत्यक्ष/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों का दरवाजा दिया जाना।
- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा २३(१) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहताओं के साथ दी जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अस्ताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अहताओं अंजित करें।
- अध्यापक अधिनियम की धारा २४(१) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करें।
- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चायों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- विद्यालय अधिनियमों की धारा १९ यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सम्नियमों को बनाये रखेगा। अतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं—

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	१५६२। ५५५९६७८ वर्गमील
कुल नियंत्रित क्षेत्र	३०२ ४८६ वर्गमील
कीड़ा-रथल का क्षेत्रफल	उपलब्ध
कक्षाओं की सख्त्या	१४

Principal प्राध्यापक—सह—कार्यालय सह-मण्डार के लिए कक्ष ०१
ONGC Community School बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शाचालय उपलब्ध
Vill.-Paintla, Laharpur-Sitapurn यज्ञ रुपियों उपलब्ध।

मिठा-डॉ-मील यकान के लिए रखा गया।

ONGC COMMUNITY SCHOOL
Ashish Singh
Manager

वाधारहित पहुंच

अध्यापक पठनसामग्री / कीड़ाखेलकूद उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्तकिरी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड-अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 05 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याका उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के एसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएं।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त नहीं।

भूकर्षय

(सजीव कुमार सिंह)
जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी

१८/३१८
सीतापुर

पृष्ठांकन /

दिनांक:

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, सीतापुर।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सीतापुर।
3. शिक्षा निदेशक, (वेसिक) उ०प्र० निशातगज, लखनऊ।
4. सचिव, वेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० इलाहाबाद।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वेसिक) घष्ट मण्डल, लखनऊ।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, विकलाग कल्याण अधिकारी जिला सीतापुर।
7. सम्बद्धि खण्ड शिक्षा अधिकारी ग्रामीण/नगर, सीतापुर।

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
सीतापुर

Principal
ONGC Community School
Vill.-Paintla, Laharpur

ONGC COMMUNITY SCHOOL

Ashish Singhania
Date: 05/03/2018